(52)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर खण्ड पीठ रीवाम०प्र०

प्र०क्र०-आर- III/निग/रीवा/भू.रा./2017/1814

संस्थापन दिनांक- 05-06-2017,

Rs 30/-

राजेन्द्र कुमार तिवारी आत्मज श्री जागेश्वर प्रसाद तिवारी उम्र लगभग 56 वर्ष पेसा नौकरी नि०ग्राम कोष्टा तह० रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा (म०प्र०) ------------------- आवेदक/निगराकार

अधि० श्री आर.एल. शर्मा, द्वारा पेश 5-6-17

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

बनाम

1- श्री सन्तोष कुमार तिवारी आत्मज श्री जागेश्वर प्रसाद तिवारी ।

2- सुरेन्द्र कुमार तिवारी आत्मज श्री जागेश्वर प्रसाद तिवारी ।

3- मुस॰बेवा सरस्वती पत्नी मुनीन्द्र प्रसाद ब्रा० ।

4- शैलेन्द्र कुमार आत्मज स्व॰ मुनीन्द्र प्रसाद ब्रा० ।

5- अजीत कुमार आत्मज स्व॰ मुनीन्द्र प्रसाद ब्रा० ।

6- लोकेन्द्र कुमार आत्मज स्व॰ मुनीन्द्र प्रसाद ब्रा० ।

7- मुस॰ लल्ली बेवा पत्नी स्व॰ केमला प्रसाद ब्रा० ।

8- शंकर उर्फ बाबूलाल आत्मज स्व॰ केमला प्रसाद ब्रा० ।

9- रामलखन तनय स्व॰ केमला प्रसाद ब्रा० ।

10- चन्द्रप्रताप तनय स्व॰ केमला प्रसाद ब्रा० ।

11- रमेश प्रसाद तनय स्व॰ केमला प्रसाद ब्रा० ।

12- दिनेश प्रसाद तनय स्व॰ केमला प्रसाद ब्रा० ।

13- चन्द्रिका प्रसाद तनय स्व॰ रामस्वयम्बर ब्रा० ।

[illegible]

14- बृजेन्द्र कुमार तनय कृष्ण राम ब्रा० -- सभी निवासी ग्राम कोष्टा तह० रायपुर कर्चु० जिला रीवा (म०प्र०)

15- शासन म०प्र० द्वारा पटवारी हल्का कोष्टा क्रमांक 103 तहसील रायपुर कर्चु० जिला रीवा (म०प्र०) ---- अनावेदक/गैरनिगराकारगण

05/06/17

... शर्मा ... (अधिवक्ता ... (म०प्र०)

निगरानी बिरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय, रीवा जिला रीवा म0प्र0 के प्र0क्र0/22/अ74/ मूल /013-014 में पारित आदेश दिनांक 20-03-017 ,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :---

§अ§- यह कि आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक एक एवं दो द्वारा अपने हक हिस्से एवं स्वामित्व की भूमि ख0क्रमांक 1010/8, 1010/7 एवं 1010/9 स्थित ग्राम कौछठा के नक्शा सुधार हेतु न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय, रीवा के समक्ष आवेदन पत्र पेस किया गया जो कि प्र0क्र0/83/अ74/011-012 में पंजीकृत किया जाकर दिनांक 24-08-012 को समुचित आदेश पारित किया जा कर बिद्वान बिचारण न्यायालय तहसीलदार रायपुर कर्चु0 को विधि अनुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज रकबा अनुसार नक्शा तरमीम कार्यवाही किए जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया था ।

§ब§- यह कि प्रत्यावर्तित दिशा निर्देशों के अनुक्रम में माननीय बिद्वान बिचारण न्यायालय तहसीलदार रायपुर कर्चु0 द्वारा उभयपक्षों की सहमति से निर्मित नक्शा तरमीम संसोधन प्रस्ताव एवं स्थल पंचनामा दिनांक 07-10-012 के अनुक्रम में दिनांक 31-01-013 को जरिए रा0प्र0क्र0/07/अ2/012-013 में दि0- 31-01-013 को समुचित आदेश पारित किया गया एवं उभयपक्ष के सहमति के नक्शा तरमीम संसोधन प्रस्ताव एवं स्थल पंचनामा दिनांक 07-10-012 एवं बिद्वान बिचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-01-013 को नजर अन्दाज कर आवेदक के स्वामित्व की भूमि नं0 1010/08 को मौके की स्थिति के बिपरीत मनमानी पूर्ण ढंग से नक्शे में तरमीम कर दिये ।

§स§- यह कि आवेदक / निगराकार को जब तथा कथित हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक के अबैध नक्शा तरमीम के कार्यवाही की जानकारी हुई तब न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय रीवा के समक्ष पुनः भूमि नं0 1010/8 रकबा 0.222 हे0 के नक्शा सुधार हेतु विधि अनुसार आवेदन पत्र पेस किया गया जिसमें अनावेदक/ गैर निगराकार क्रमांक एक एवं दो स्वतः उपस्थितहोकर

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

तीन / निगरानी / रीवा / भूरा / 2017 / 1814

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
8–9–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 एस0 शर्मा उपस्थित होकर उनके द्वारा अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 22 / अ–74 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 20.3.17 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि प्रकरण नक्शा सुधार से संबंधित है तथा राज़स्व निरीक्षक एवं पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर द्वारा अपना आदेश पारित किया गया है । उभयपक्ष के द्वारा राजीनामा अपर कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। उसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि निराकरण उभयपक्ष स्वेच्छा पूर्वक आपसी समझौता लेख के अनुसार कराना चाहते हैं जो कि विधि अनुरूप है। 3– प्रकरण अपर कलेक्टर जिला रीवा को वापिस किया जाता है। उभयपक्ष अपर कलेक्टर के न्यायालय में अपना समझौता आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण का निराकरण कराने हेतु एवं उभयपक्ष चाहे तो लोक अदालत में भी प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	